अंचल अधिकारी का कार्यालय, तोपचाँची(धनबाद)

अभिलेख सं0 216(11) / 2016–17

वाद का प्रकार :– बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित।

पदाधिकारी आदेश

17/10/16 झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2074 / रा0 दिनांक 13.05.2016 सहपठित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू–अर्जन– सह – विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र सख्या– 3 – खा0म0निति – 119 / 85 / 2308 / रा0 दिनांक 03.09.1985 एवं सह–पठित राजस्व विभागगीय परिपत्र संख्या – 914 / रा0 दिनांक 09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबदियो की जाँच प्रारम्भ की गयी। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं प्र0अं0नि0 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :–

मौजा लक्ष्मीपुर थाना नं0 19 खाता नं0 91

प्लॉट नं0 963 रकवा 0.9550 एकड की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार(झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी II के जिल्द सं0........ के पृष्ट संख्या 164 पर जमाबंदी रैयत गणेशलाल साव के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं प्र0अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरूद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं प्र0अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के / अवैध बंदोबस्ती के आधार पर / अवैध कोड़कर बंदोबस्ती के आधार पर / अवैध लगान निर्धारण के आधार पर / सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू–खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों / निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें, कि क्यों नही उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाए।

अभिलख दिनांक 4/11/16 को उपस्थापित करे।

अंचल अधिकारी,
तोपचाँची

/11/20

अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त। नोटिस का तामिला प्राप्त। नोटिस के आलोक में किसी जमाबंदी रैयत या उनके वंशज द्वारा आपत्ति और ना ही राजस्व कागजात समर्पित करने हेतु समय का मॉग किया गया है। संवंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि मौजा लक्ष्मीपुर मौजा नं0 19 खाता नं0 91 .. प्लॉट नं0 963 .... रकवा 0.95 ए0 से संवंधित है, जो खतियान के अनुसार गैरमजरूआ खाते की भूमि है। जिसका पंजी ।। के जमाबंदी भोलुम नं0 1 के पृष्ट सं0 164 में रैयत जगेश्वरलाल पे0 मिथ उधोलाल साव सा0 – लक्ष्मीपुर (तिरलडीह) के नाम से कायम है। उपरोक्त जमाबंदी के प्रॉधिकार कॉलम में , बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के / अवैध लगान निर्धारण के आधार पर /सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्वेश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

उपरोक्त प्रतिवेदन के आलोक में स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि की विवरणी की सृजित जमाबंदी अवैध / संदिग्ध प्रतित होता है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे रद्द करने की अनुशंसा किया जाता है। साथ ही,दृदृ अभिलेख की कार्रवाई को समाप्त किया जाता है। अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार, उप समाहर्ता, धनबाद को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

26/11/20
अंचल अधिकारी,
तोपचॉची।

26/11/20
अंचल अधिकारी,
तोपचॉची।

216 (ii) 16-17

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- श्री गणेश लाल साव पिता उचित लाल साव करबेन्द
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :-

मौजा	थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा
लाटमनिया	19	91	963	0.95½

3. जमाबंदी पंजी–II के जिल्द संख्या............... पृष्ठ सं0–164 पर कायम है –
4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है – 1983-84
5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :- अनाबाद सरकार
6. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है – अंचल
7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम –
8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भूबंदोबस्ती – दा. खा. केस नं 78 (ii) 83-84 अंचल के आदेश से नाम [illegible]
9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न / बन्दोबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू–हस्तांतरण पंजी)
10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष –

क्र0 संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष

अंचल अधिकारी का कार्यालय, तोपचाँची(धनबाद)

वाद अभिलेख सं0 216(11) / 2016 17 (अन्तर्गत धारा – 4(h), BLR Act, 1950)

सूचना

बनाम

अघोरी लाल साव

पिता – उमोलाल साव

ग्राम – लक्ष्मीपुर पो0

थाना – हरिहरपुर जिला – धनबाद।

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा लक्ष्मीपुर थाना नं0 .... खाता नं0 19 प्लॉट नं0 91 रकवा .... एकड से संबंधित आपके नाम से हल्का नं0 963 के पंजी II भाग 0.955 के पृष्ठ .... पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने प्र0अचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव, आप उक्त संबंध में दिनांक 4/11/16 को समय 11:00 बजे पूर्वा0 में उक्त भूमि का रिटर्न –I, भूमिबंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, फार्म M एवं सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व रसीदों निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति / सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति मे समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नही कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज / साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबध मे युक्ति–युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकीद जानें।

मेरे द्वारा तामिला किया गया
वकील चन्द्र महतो चौकिदार

तिथि – 17-10-2016

स्थान – तोपचाँची

मुहर

अंचल अधिकारी
तोपचाँची
17-10-2016

प्रदीप कुमार
पर पोता का सिग्नेचर